न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 08/2019

युनुस पुत्र सुमेर खान जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 सोमका तहसील पहाडी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :– श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थी

दिनांक 04.12.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता सं0 284 के खसरा नम्बर 34/1/0.11, 33/1/0.21, खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 54/0.12, 55/0.36, 61/0.40, 62/0.19, 63/0.06, 73/0.37, खाता संख्या 326 के खसरा नम्बर 216/0.26, खाता संख्या 260 के खसरा नम्बर 317/0.04, 323/0.13, खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 83/2/1.62 , खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 59/1/0.05, 769/0.12 है0 बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खाता सं0 284 के खसरा नम्बर 34/1/0.11, 33/1/0.21, का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 54/0.12, 55/0.36, 61/0.40, 62/0.19, 63/0.06, 73/0.37, पूर्ण हिस्सा , खाता संख्या 326 के खसरा नम्बर 216/0.26 का पूर्ण हिस्सा , खाता संख्या 260 के खसरा नम्बर 317/0.04, 323/0.13, 1/3 हिस्सा, प्रार्थी काबिज आराजी खातेदार काश्तकार है। जिस पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी प्रार्थी का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 83/2/1.62 , के 1/5 हिस्से पर प्रार्थी की पत्नी उसमानी खातेदार काश्तकार हैतथा खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 59/1/0.05, 769/0.12 है0 का पूर्ण हिस्सा का खातेदार प्रार्थी का पुत्र जानमौहम्मद है तथा खाता संख्या 466 के खसरा नम्बर 231/4/0.36, का पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है प्रार्थी की पत्नि उसमानी व पुत्र जानमौहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी युनुस गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

सही नाम युनुस पुत्र सुमेर है जबकि राजस्व रिकार्ड में युनुस के स्थान पर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार उन्नस पुत्र सुमेर खां खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर पर उन्नस पुत्र सुमेर खां तथा 326 के खसरा नम्बर पर युनुस पुत्र सुमेर खां तथा आराजी संख्या 260 के खसरा नम्बरों में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम युनुस खां पुत्र सुमेर खां दर्ज है। जो कि गलत दर्ज हो रहा है। सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां दर्ज होना चाहिये प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह कार्ड पहचान पत्र में सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां अंकित है। जिनकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः निवेदन है। कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी,पत्नि,उसमानी के पत्नि का नाम व जानमौहम्मद के पिता के गलत नाम के स्थान पर सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां किया जाना अति आवश्यक है। गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है तथा गलत नाम के कारण काफी परेशानी हो रही है। राजस्व रिकार्ड की खाता संख्या 284,281,81, में दर्ज प्रार्थी के नाम उन्नस के स्थान पर तथा खाता संख्या 326 में दर्ज युनस के स्थान पर तथा खाता संख्या 260 में दर्ज युनिस खान के स्थान पर तथा खाता संख्या 466 में दर्ज गलत नाम उन्नस के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खान दर्ज किया जावें तथा खाता संख्या 192 में प्रार्थी की पत्नि उसमानी जो जोजे उन्नस के स्थान पर उसमानी जाजे युनुस दर्ज किया जावें एवं खाता संख्या 160 पर जानमौहम्मद पुत्र युनिस के स्थान पर पिता का सही नाम युनुस दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया ।

बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की विवादित आराजी आराजी खाता सं0 284 के खसरा नम्बर 34/1/0.11, 33/1/0.21, का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 54/0.12, 55/0.36, 61/0.40, 62/0.19, 63/0.06, 73/0.37, पूर्ण हिस्सा , खाता संख्या 326 के खसरा नम्बर 216/0.26, का पूर्ण हिस्सा , खाता संख्या 260 के खसरा नम्बर 317/0.04, 323/0.13, 1/3 हिस्सा, प्रार्थी काबिज आराजी खातेदार काश्तकार है। जिस पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी प्रार्थी का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 83/2/1.62 , के 1/5 हिस्से पर प्रार्थी की पत्नी उसमानी खातेदार काश्तकार हैतथा खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 59/1/0.05, 769/0.12 है0 का पूर्ण हिस्सा का खातेदार प्रार्थी का पुत्र जानमौहम्मद है तथा खाता संख्या 466 के खसरा नम्बर 231/4/0.36, का पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है प्रार्थी की पत्नि उसमानी व पुत्र जानमौहम्मद की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी युनुस गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम युनुस पुत्र सुमेर है जबकि राजस्व रिकार्ड में युनुस के स्थान पर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार उन्नस पुत्र सुमेर खां खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर पर उन्नस पुत्र सुमेर खां तथा 326 के खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाड़ी जि़ला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

नम्बर पर युनुस पुत्र सुमेर खां तथा आराजी संख्या 260 के खसरा नम्बरों में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम युनुस खां पुत्र सुमेर खां दर्ज है। जो कि गलत दर्ज हो रहा है। सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां दर्ज होना चाहिये प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड राशन कार्ड भामाशाह कार्ड पहचान पत्र में सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां अंकित है। जिनकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः निवेदन है। कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी,पत्नि,उसमानी के पत्नि का नाम व जानमौहम्मद के पिता के गलत नाम के स्थान पर सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खां किया जाना अति आवश्यक है। गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है तथा गलत नाम के कारण काफी परेशानी हो रही है। राजस्व रिकार्ड की खाता संख्या 284,281,81, में दर्ज प्रार्थी के नाम उन्नस के स्थान पर तथा खाता संख्या 326 में दर्ज युनस के स्थान पर तथा खाता संख्या 260 में दर्ज युनिस खान के स्थान पर तथा खाता संख्या 466 में दर्ज गलत नाम उन्नस के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खान दर्ज किया जावें तथा खाता संख्या 192 में प्रार्थी की पत्नि उसमानी जो जोजे उन्नस के स्थान पर उसमानी जाजे युनुस दर्ज किया जावें एवं खाता संख्या 160 पर जानमौहम्मद पुत्र युनिस के स्थान पर पिता का सही नाम युनुस दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, संरपचं ग्राम पंचायत सोमका द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 14.03.2019 , नकल बिजली बिल, का भी अवलोकन किया । समस्त अभिलेखातों में प्रार्थी का नाम युनुस पुत्र सुमेर खान दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 284,81में दर्ज प्रार्थी के नाम उन्नस के स्थान पर तथा खाता संख्या 326 में गलत नाम युनस के स्थान पर तथा खाता संख्या 260 में दर्ज गलत नाम युनिस खान के स्थान पर तथा खाता संख्या 466 में दर्ज गलत नाम उन्नस के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम युनुस पुत्र सुमेर खान तथा खाता संख्या 192 पत्नि उसमानी जोजे उन्नस के स्थान पर उसमानी जोजे युनुस एवं खाता संख्या 160 पर जानमौहम्मद पुत्र युनिस के स्थान पर जानमौहम्मद पुत्र युनुस दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner